न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 11/2017

रामजीलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र जमनाराम जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. विजेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. सुनिल कुमार उम्र 32 वर्ष पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. अनिता उम्र 34 वर्ष पुत्री ताराचन्द जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. खजानी देवी उम्र 62 वर्ष पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अ.आ. 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी

निर्णय

निर्णय दिनांक 12.04.2022

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कंकड़ेऊ खुर्द पटवार हल्का कंकड़ेऊ कलां की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 176 रकबा 7.08 है0, ख0न0 55 रकबा 1.18 है0, ख0न0 56 रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 8.47 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। इस भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी–अपनी भूमि का बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त है तथा आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु पुख्ता तारबंदी कर रखी है। ख0न0 176 में सहवन से डोटेड लाईन से रास्ता दर्शित है जिसके लिये पक्षकारान द्वारा संयुक्त रूप से भूमि काटकर सीमा के सहारे–सहारे सुलभ रास्ता डाल दिया है जिससे आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 6 को पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि के ख0न0 176 में सहवन से दर्शित डोटेड लाईन के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की तारबंदी व गेट आदि से छोड़छाड़ नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया। प्रकरण के संबंध में

तहसीलदार मलसीसर प्रतिवादी संख्या 6 ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि ग्राम कंकड़ेऊ खुर्द के ख0न0 176 के उतर पश्चिमी कोने से दक्षिण पूर्वी कोने की ओर डोटेड लाईनों से रास्ता राजस्व नक्शे में दर्ज है मौके पर उपरोक्त रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है जिसको वादी रामजीलाल पुत्र जमनाराम व अन्य ने लोहे का गेट व तारबंदी कर रोक दिया है तथा रास्ता ख0न0 186 गै0मु0 चारागाह में से बना दिया है एवं चारागाह में भी तारबंदी कर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त रास्ता जहां ग्रेवल सड़क बनी हुई है ग्राम कंकड़ेऊ खुर्द से ग्राम डाबड़ी धीरसिंह को जाने वाला एकमात्र व मुख्य रास्ता है। जिस पर सरकार द्वारा जनहित को देखते हुये ग्रेवल सड़क बनाई गई है। पक्षकारान द्वारा बनाया गया नया रास्ता उबड़–खाबड़ एवं कच्चा है कुछ खेजड़ी के पेड़ भी रास्ते में अवरोध पैदा करते है। नया रास्ता टीलो से होकर गुजरता है जहां आवागमन में बहुत परेशानियां होती है। उपरोक्त वाद में अपने भाईयों को ही प्रतिवादी बनाया गया है। अतः राजस्व नक्शे में डोटेड लाईन से दर्ज रास्ता जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है, को जनहित में खुलवाया जाकर आवागमन को सुगम व सुचारू किया जाना आवश्यक है।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि के ख0न0 176 में सहवन से दर्शित डोटेड लाईन के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की तारबंदी व गेट आदि से छोड़छाड़ नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 6 को पाबंद फरमाया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा ख0न 176 की सीमा के सहारे सहारे रास्ता कायम कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के मध्य अलग से खाता विभाजन करने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट से एक तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ख0न 176 में दर्ज डोटेड रास्ता जिस पर वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जनहितार्थ राजकीय धन खर्च कर ग्रेवल सड़क का निर्माण किया हुआ है, को तारबंदी कर लोहे के गेट लगाकर बंद कर दिया गया है जो कि प्रथमदृष्टया धारा 251 के तहत सुखाचार का मामला बनता है साथ ही राजस्व रिकार्ड में डोटेड लाईन से दर्ज रास्ता जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है, को ग्रेवल सड़क के कारण कृषि उपयोग में भी नहीं लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चालु रास्ते को बंद कर न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाते हुये नया रास्ता कायम करवाना उचित प्रतीत नहीं होता। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अ.आ. 39 नियम 1 व 2 जनहितार्थ स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रकरण में दिनांक 08.12.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अ.आ.39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर होकर मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 12/4/22
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर